

36 19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या...../पटना दिनांक.....

चूंकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम -मझौक, थाना -वैसी थाना न० 396, परगना-श्रीपुर, जिला -पूर्णिया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोशी योजना अंतर्गत महानन्दा दायों तटबंध निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांकित ग्राम - मझौक, थाना-वैसी थाना नं०-396 के भीतर भूमि का टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के 4.01 एकड़ के बराबर होता है और जिसका अंश खेसरा सं० निम्नांकित है:-217 तथा जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

उत्तर - सीमा रेखा ग्राम-चकला
दक्षिण - सीमा रेखा ग्राम-भसिया
पूरब - अंश खेसरा सं०-217
पश्चिम- अंश खेसरा सं०-217 एवं सीमा रेखा ग्राम-मोहम्मदपुर

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला,लोहा,पत्थर,स्लेट या अन्य खनिजों को खोदने की आवश्यकता नहीं है,किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना /हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम,1894 की धारा-6 और अधिनियम 18,1885 की धारा-3 के खण्ड-1 के उपबन्धों की अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 एवं भू-संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

विशेष भू अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा।
अपर समाहर्ता, पूर्णिया।
समाहर्ता, पूर्णिया।
आयुक्त सरकार के सचिव, पूर्णिया।

ज्ञापांक:- 2941/पटना दिनांक:- 16/12/2013

प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य प्रशाखा जिला गजट प्रकाशन शाखा, पूर्णिया को जिला के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी कोशी योजना सहरसा को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती हैं।

(2) निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती हैं।

(3) निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव
बिहार पटना।